न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद अपील संख्या– 16/2019

अपीलान्ट	बनाम	प्रत्यर्थीगण
मानाराम धायल पुत्र रामदीनराम उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम डोबडी सांवलदास पोस्ट डोबड़ी कलां, तहसील मकराना जिला नागौर		1. जिला रसद अधिकारी, नागौर 2. बनवारीलाल पुत्र खेमाराम निवासी डोबड़ी कलां तहसील मकराना जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री हीमांशु चौधरी।
2. प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल, प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक– 2-5-2019

1. मामले का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश1976 के खण्ड 22 (1)(ए) के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 20/18 के सन्दर्भ में बनवारीलाल उचित मूल्य दुकानदार डोबड़ी कलां तहसील मकराना के विरूद्ध दर्ज विभागीय प्रकरण को लम्बित रखते हुऐ प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से बहाल किय जाने के आदेश कमांक 179 दिनांक 29.11.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के साथ परिसीमा अधिनियम 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिस पर यह अपील तावेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–2 की ने हरतगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।
2. मियाद के बिन्दु पर वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी शिकायतकर्ता रहा है। दस्तावेज हासिल करने वास्ते प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के विभाग में आर.टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस संबंध में अप्रार्थी विभाग द्वारा कुछ दस्तावेज उपलब्ध करवाये व स्टॉक रजिस्टर के संबंध में यह जबाब दिया कि यह दस्तावेज विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध है। परन्तु ऐसे कोई भी दस्तावेज अप्रार्थी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है। तब 14.01.2019 को एक पत्र अप्रार्थी विभाग को लिखकर स्टॉक संबंधित रजिस्टर की मांग की गई, जो कई बार निवेदन कि बाद भी उपलब्ध नहीं करवाये गये। दस्तावेजों के अभाव में व ऐसे दस्तावेज जो कि अप्रार्थी विभाग से संबंधित है, ऐसे में प्रार्थी अपील प्रस्तुत करने में असक्षम था व असल में अपील प्रस्तुत करना मुमकिन नहीं था, का कथन करते हुऐ वास्तविक व उचित कारणों को मद्दे नजर रखते हुए अपील करने में हुई देरी को जरिये आदेश माफ करते हुए अपील को नियमित रूप से सुनवाई का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की और से प्रवर्तन अधिकारी ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में किये गये कथनों पर विचारोपरान्त हस्तगत प्रकरण की मेरिट पर सुनवाई कि जाना निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।
3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ तर्क दिया कि अपीलान्ट डोबड़ी कलां का निवासी है तथा डोबड़ी कलां स्थित राशन सामग्री विक्रेता से राशन सामग्री खरीद करता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास डोबड़ी कला में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र है व खेड़ीशीला स्थित अस्थाई उचित मूल्य दुकान का चार्ज भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास है। प्रत्यर्थी संख्या 2 की गतिविधियों

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

से तंग आकर डोबड़ी कलां के निवासियों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ राजस्थान सम्पर्क पोर्टल व अन्य सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इस विषय में जॉच आरम्भ की गई जॉच के इसी क्रम में प्रवर्तन निरीक्षक मुरारीलाल शर्मा द्वारा डोबडी कंला स्थित उचित मूल्य दुकान पर पहूँचे तो प्रत्यर्थी संख्या 2 मौके पर अनुपस्थित था व उपभोक्ता पखवाडे के दौरान डोबड़ी कंला स्थित दुकान बंद पाई गई, जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.03.2018 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से प्रर्थी संख्या 2 का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा। तत्पश्चात प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.03.2018 को आदेश पारित कर प्रत्यर्थी संख्या 2 का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर विभागीय प्रकरण संख्या 20/2018 राजस्थान सरकार बनाम मैसर्स बनवारीलाल दर्ज किया गया एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 09.05.2018 को तय की गई।

4. प्रकरण की जॉच के क्रम में नियुक्त प्रवर्तन निरीक्षक श्री मुरारीलाल शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान प्रत्यार्थी संख्या 2 की दुकान बंद मिली। जॉच रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया गया कि "कार्यालय रिकार्ड के आधार पर डीलर के पास खेडीशीला दुकान में 7970 लीटर केरोसीन एवं 1896.5 कि.ग्रा. चीनी एवं डोबड़ी कलां स्थित दुकान में 4267.5 लीटर केरोसीन एवं 1793 कि.ग्रा. चीनी स्टॉक में उपलब्ध है जो कि डीलर द्वारा अस्थाई डीलर को सुपुर्द नहीं किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा दोनों दुकानों में 12144.5 लीटर केरोसीन, 74.25 क्वि. गेंहूँ एवं 3493.5 कि.ग्रा. चीनी का गबन करना पाया गया है।" साथ ही इस जॉच रिपोर्ट में यह भी वर्णित है कि जॉच के दिन डोबड़ी कलां स्थित दुकान में 54.80 क्विंटल गेंहूँ, 13.50 लीटर केरोसीन एवं 196 किलो ग्राम चीनी व खेडीशीला में 127.45 क्विंटल गेहूँ, 80 लीटर केरोसीन एवं 144 किलो चीनी बतौर स्टॉक स्टॉक उपलब्ध थे।

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के स्पष्टीकरण बाबत् कोई भी जबाब आज दिनांक तक प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा पेश नहीं किया न ही वह प्रत्यार्थी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित हुआ। इसके बावजूद भी प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा 90 दिवस बीत जाने के उपरान्त भी प्रत्यार्थी संख्या 2 का प्राधिकार पत्र रदद् नहीं किया। नोटिस जारी करने के उपरान्त भी प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं देना यह जाहिर करता है प्रत्यार्थी संख्या 2 पूर्ण रुप से एवं लगातार अनियमितता एवं राशन सामग्री के स्टॉक की हेराफेरी कर गबन करने में पूर्णतया लिप्त था। निलम्बन के पश्चात 6 माह बीत जाने के पश्चात भी प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा प्रत्यार्थी संख्या 1 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना प्रत्यार्थी संख्या 1 के विरुद्व संशय पैदा करता है।

6. विभागीय प्रकरण में प्रत्यार्थी संख्या 2 की लगातार अनुपस्थिति के उपरान्त भी अन्यत्र प्रवर्तन निरीक्षक को नियुक्त डोबडी कलां व खेडीशीला स्थित उचित मुल्य दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाना अपने आप में संदिग्ध है। प्रवर्तन निरीक्षक श्री बेनीवाल द्वारा मौके पर पूर्ण स्टॉक उपलब्ध होना बताया गया है। साथ ही रिपोर्ट दिनांक 28.8.2018 में प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर प्रत्यार्थी संख्या 2 स्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक ने 4267 लीटर केरोसीन, 54.80 क्वि. गेहूं एवं 1793 किलोग्राम चीनी डोबडी कलां स्थित दुकान के गौके पर स्टॉक में उपलब्ध पाई व खेडीशीला स्थित दुकान के मौके पर 7970 लीटर केरोसीन, 19 क्विंटल गेहूं एवं 1896 किलोग्राम चीनी मौके पर उपलब्ध पाई।

7. कार्यालय रिकॉर्ड में वर्णित/दर्ज स्टॉक को हस्तान्तरण 22.03.2018 के पश्चात व 28.08.2018 के पूर्व कभी भी प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा नही किया गया एवं कोई प्रार्थना पत्र भी प्रत्यार्थी संख्या 1 के समक्ष वास्ते स्टॉक हस्तान्तरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्यार्थी संख्या 2 की अनुपस्थिति एवं स्पष्टीकरण के अभाव में नव प्रवर्तन निरीक्षक श्री बेनीवाल का नियुक्त होना एवं अपनी रिपोर्ट में स्टॉक का उपलब्ध बताना स्वयं की सन्देहास्पद है। एवं इस दरम्यान किसी भी अधिकारी द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया जा रहा है कि जब 22.03.2018 को यह स्टॉक मौके पर उपलब्ध नही था एवं इसकी उपलब्धता बाबत् भी प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा कोई जानकारी कभी नही दी गई थी एवं अचानक ही नव प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचने पर प्रत्यार्थी संख्या 2 की उपस्थिति व सम्पूर्ण माल की उपस्थिति जो कि जांच का विषय है

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

साथ ही साथ इन प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से नहीं करवाई गई है ऐसे में इस रिपोर्ट की वैधता को खरा नही माना जा सकता है।

8. 5 माह बीतने के उपरान्त इतनी बडी मात्रा में केरोसीन/तेल, गेहूं, चीनी व अन्य सामग्री प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा कहा से उपलब्ध करवाई गई इस बारे में किसी भी प्रकार का वर्णन नव प्रवर्तन निरीक्षक श्री बेनीवाल की रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है, ना ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का ब्यौरा प्रत्यार्थी संख्या 2 की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है साथ ही साथ प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा भी इस विषय पर गौर नहीं फरमाया गया है कि निलम्बन के पश्चात प्रत्यार्थी संख्या 1 ने कभी भी माल उपलब्ध करवाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। परन्तु नव प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 22.08.2018 प्रत्यार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत होते ही आगामी 1–2 दिन के भीतर प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते बहाल करने हेतु प्रस्तुत कर दिया गया जो कि गहन जांच का विषय है।

9. अचानक माल की उपलब्धता से आश्चर्यचकित होकर अपीलार्थी व अन्य शिकायतकर्ताओ द्वारा एक शिकायत प्रार्थना पत्र 11.10.2018 माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी कडी में प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.10.2018 को श्री रामाअवतार पूनिया प्रवर्तक निरीक्षक को प्रत्यार्थी संख्या 2 के निलम्बन के बावजूद भी भारी मात्रा में गेहूं व केरोसीन उपलब्ध कराने वास्ते प्रस्तुत शिकायत की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये। प्रत्यार्थी संख्या 1 का आदेश पाकर श्री रामाअवतार पूनियां ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 31.10.2018 प्रत्यार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत की जिसके अवलोकन मात्र से यह प्रतीत होता है कि श्री पूनिया द्वारा इस विषय की जांच बाबत् कोई प्रयास नहीं किये गये क्योंकि मात्र एक पन्ने की जांच रिपोर्ट पूर्व प्रवर्तन निरीक्षक श्री बेनीवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.08.2018 के आधार पर प्रस्तुत कर दी गई एवं यह तर्क दिया गया कि स्टॉक की भौतिक जांच प्रवर्तक अधिकारी ने सरपंच व ग्रामीणो के समक्ष किया जिसमें स्टॉक सही पाया गया। इसी कारण उक्त जांच में प्रत्यार्थी संख्या 1 को दोषी नहीं माना गया।

10. स्टॉक उपलब्ध करवाने के विषय में नव प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा कोई भी विडियोग्राफी या मौके पर सम्पूर्ण स्टॉक उपलब्ध हो इस बाबत कोई भी तथ्य प्रस्तुत नही किया मात्र गांव वालो की उपस्थिति का हवाला देते हुए स्टॉक मौके पर उपलब्ध होना बताया। साथ ही साथ स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद जरिये आदेश दिनांक 29.11.2018 प्रत्यार्थी संख्या 2 को बहाल करना एक तरीके से क्लीन चिट देने के समान है क्योंकि नई रिपोर्ट के आधार पर मौके पर स्टॉक की उपलब्ध बता दी गई है ऐसे में आदेश में यह लिखना की विभागीय कार्यवाही गुणावगुण के आधार पर कर दी जायेगी, किसी भी रुप से न्याय संगत प्रतीत नही होने का कथन करते हुए प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2018 को खारिज कर मामले की कमेठी गठित कर जांच करने का आदेश प्रदान करने व मामले में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति/अधिकारी/अन्य के विरुद्व कानूनी कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

11. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से बहस में कथन किया कि प्रकरण में श्री मुरारीलाल शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष, प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर डीलर द्वारा प्रथम दृष्टया अनियमिता एवं डीलर द्वारा शिकायतों की जॉच में सहयोग नहीं करने तथा उपभोक्ता पखवाड़ा दिनांक 19.03.2018 को डीलर की मूल डोबडी कला व अस्थाई खेड़ीशीला दुकान बन्द पाये जाने के कारण डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने का निवेदन किया तथा विस्तृत जॉच प्रथक प्रस्तुत करने का निवेदन किया जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 20/2018 राजस्थान सरकार बनाम श्री बनवारीलाल दर्ज कर आदेश दिनांक 22.03.2018 से प्रत्यर्थी संख्या 2 को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तथा एक पृथक आदेश दिनांक 22.03.2018 से उक्त उचित मुल्य दुकानों का अस्थाई कार्यभार अन्य उचित मूल्य दुकानदारों को दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 को कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया। उक्त संबंध में श्री मुरारीलाल शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में मुख्यतः उल्लेख किया कि डीलर द्वारा दोनों दुकानो खेड़ीशीला एवं डोबडी कलां का

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

12144.5 लीटर केरोसीन, 74.25 क्विंटल गेहूँ एवं 3493.5 किलोग्राम चीनी का गबन पाया गया है, उक्त रिपोर्ट प्रत्यर्थी संख्या 1 के सक्षम प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा अस्थाई दुकानदारों को उक्त डोबड़ी कलां एवं खेड़ीशीला का स्टॉक हस्तान्तरण नहीं किया केवल पोश मशीनों को हस्तान्तरण किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.08.2019 को श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 के निर्देशानुसार ग्राम डोबड़ी ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंच कर उचित मूल्य दुकानदार के पास उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जिसमें ग्राम डोबड़ी में प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा रूबरू मौतबिरान मौके पर से 4267 लीटर केरोसीन, 54.80 क्विं गेहूँ एवं 1793 किलोग्राम चीनी तथा ग्राम खेड़ीशीला में प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा रूबरू मौतबिरान मौके पर से 7970 लीटर केरोसीन, 19 क्विं. गेहूँ एवं 1896 किलोग्राम चीनी मौके पर स्टॉक में उपलब्ध पाई गई। जिसकी पृथक–पृथक मौका फर्द रूबरू मौतबिरान तैयार की गई। प्रत्यर्थी संख्या –2 विभागीय प्रकरण की कार्यवाही में दिनांक 13.11.2018 एवं 29.11.2018 को प्रत्यर्थी संख्या–1 के यहां उपस्थित हुआ है, जो उक्त विभागीय प्रकरण की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है। दिनांक 31.08.18 को प्रत्यर्थी संख्या–2 ने प्रत्यर्थी संख्या–1 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना प्राधिकार पत्र बहाल करने एवं अटैच दुकान खेड़ीशीला का स्टॉक हस्तान्तरण करवाये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विभागीय प्रकरण को लम्बित रखते हुऐ प्रत्यर्थी संख्या–2 का प्राधिकार पत्र आदेश जैर अपील दिनांक 29.11.2018 से बहाल कर दिया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश कमांक–एफ–17(45)ख.वि./न्याय/2011 दिनांक 18.10.2017 के अनुसार प्राधिकार पत्र को अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक निलम्बित किये जाने के निर्देश है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–2 का प्राधिकार पत्र निलम्बन की अविध 90 दिवस से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त आदेश जैर अपील दिनांक 29.11.2018 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

12. वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी नागौर प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 20/18 के सन्दर्भ में बनवारीलाल उचित मूल्य दुकानदार डोबड़ी कलां तहसील मकराना के विरूद्ध दर्ज विभागीय प्रकरण को लम्बित रखते हुऐ प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से बहाल किये जाने के आदेश कमांक 179 दिनांक 29.11.2018 को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश1976 के खण्ड 22 (1)(ए) के तहत चुनौती दी गई है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 22 (1)(ए) के प्रावधान इस प्रकार है–"22. अपील– (1) इस आदेश के अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति–(क) यदि आदेश कलक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा किया गया है, कलक्टर को अपील कर सकेगा,"। हस्तगत प्रकरण में विभागीय प्रकरण संख्या–20/2018 प्रत्यर्थी संख्या–1 के यहां विचाराधीन है। जहां तक आदेश जैर अपील दिनांक 29.11.2018 को खारिज करने का वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है कि तो उक्त संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश कमांक–एफ–17(45)ख.वि./न्याय/2011 दिनांक 18.10.2017 के अनुसार प्राधिकार पत्र को अधिकतम 90 दिवस अवधि तक निलम्बित किये जाने के निर्देश है। प्रत्यर्थी संख्या–2 का प्राधिकार पत्र प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा आदेश दिनांक 23.03.2018 को निलम्बित किया गया तत्पश्चात आदेश जैर अपील दिनांक 29.11.2018 से प्रत्यर्थी संख्या–2 का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया गया है, जो प्राधिकार पत्र को निलम्बित किये जाने की अधिकतम अवधि 90 दिवस पूर्ण होने के पश्चात बहाल किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करने का आदेश जैर अपील 29.11.2018, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश कमांक–एफ–17(45)ख.वि./न्याय/2011 दिनांक 18.10.2017 के अनुसार एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से उक्त आदेश दिनांक 29.11.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि अनुरूप नहीं है।

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

13. हस्तगत प्रकरण में श्री मुरारीलाल शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 22.03.2018 पर प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या–20/2018 दिनांक 22.03.2018 को दर्ज किया गया एवं विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा केरोसीन, चीनी आदि के गबन के संबंध में मुरारीलाल शर्मा प्रवर्तन द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उक्त रिपोर्ट किस दिनांक को प्रस्तुत की गई यह स्पष्ट नहीं है। उक्त विभागीय प्रकरण दर्ज होने की दिनांक से करीब 5 माह पश्चात श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.08.2018 को प्रत्यर्थी संख्या–1 के सक्षम रिपोर्ट प्रस्तुत की, उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा उक्त कम पाये गये केरोसीन, चीनी एवं गेहूँ मौके पर उपलब्ध करवा दिये गये है। उक्तानुसार मौके पर जाकर जॉच कर रिपोर्ट भिजवाने के संबंध प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा श्री बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक को किस दिनांक को आदेश दिया गया है, ऐसा कोई आदेश भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त स्टॉक केरोसीन, चीनी व गैहूँ आदि श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रत्यर्थी संख्या–2 के पास कम होना बताया गया था, तो उसी समय अथवा 1–2 दिन में यदि प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा उक्त मॉल का स्टॉक पूरा होने बाबत सूचना प्रत्यर्थी संख्या–1 को दी जा सकती थी, जबकि उक्त कम पाया गया स्टॉक को श्री बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार करीब 5 माह पश्चात मौके पर प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा उपलब्ध करवाना बताया है, जो स्थिति सन्देह उत्पन्न करती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश कमांक–एफ–17(45)ख.वि./न्याय/2011 दिनांक 18.10.2017 के अनुसार विभागीय प्रकरण का निस्तारण भी 90 दिवस की अवधि में किये जाने के निर्देश है, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–1 के यहां उक्त विभागीय प्रकरण संख्या–20/2018 लगभग एक वर्ष से विचाराधीन चल रहा है, जो कतई उचित नहीं है। अतः प्रत्यर्थी संख्या–1 को उनके समक्ष विचाराधीन विभागीय प्रकरण संख्या–20/2018 का विधि प्रकिया अनुसार अब यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये जाना उचित है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–1 को इस निर्णय के बिन्दु संख्या–13 में किये गये विवेचन में दिये गये तथ्यों को भी दृष्टिगत रखते हुऐ, विचाराधीन विभागीय प्रकरण संख्या–20/2018 का विधि अनुसार कार्यवाही करते हुऐ यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या–1 को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निणर्य की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

15. निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner